रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 400] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 21, 2005/वैशाख 1, 1927
No. 400] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 21, 2005/VAISAKHA 1, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2005

का.आ. 570(अ).— मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उपधारा (3) और धारा 110 (3) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा हरियाणा में संयोजनों के रूप में पंजीकृत निम्नलिखित संयोजनों जिनका अधिकतम सुरक्षित लदान भार और आकार संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, के पंजीकरण प्रमाण पत्र में अपेक्षित संशोधन और आवश्यक परिवर्तन के लिए अनुमोदन प्रदान करती है :-

अनुसूची

1. संयोजन की किस्म : प्राइम मूवर - ट्रेलर संयोजन

2. स्वामी : मै0 नमक्कल ट्रांसपोर्ट कैरियर्स (प्रा.) लि0, चेन्नै

3 संयोजनों की संख्या : आठ

4. संयोजन का वर्णन:

पंजीकरण संख्या	खाली भार	लम्बाई
एचआर 38 एम-3310	16000 किग्रा.	37.239 मीटर
एचआर 38 एम-9610	16000 किग्रा.	37.239 मीटर
एचआर 38 एल-7110	16000 किग्रा.	37.239 मीटर
एचआर 63 -7310	16000 किग्रा.	37.239 मीटर
एचआर 38 एल-4010	16000 किग्रा.	37.239 मीटर
एचआर 38 एम-1510	16000 किग्रा.	37.239 मीटर
एचआर 63 -7210	14000 किग्रा.	27.181 मीटर
एचआर 63 -7510	14000 किग्रा.	27.181 मीटर

5. तथापि, सभी आठ संयोजनों की चैसियों, धुरियों की संख्या और टायरों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा । उपर्युक्त सभी वाहनों में 44000 किलोग्राम सकल वाहन भार, 2.70 मीटर चौड़ाई और 6.8 मीटर (पिछला) प्रलम्ब (माल लदे होने की स्थिति में) की अनुमति दी जाएगी । यह संयोजन निम्नलिखित रूटों पर चलेंगे -

(क) चेन्नै से शिकारपुर वाया कांचीपुरम- वेल्लोर- चित्तूर- होसकोट- बंगलौर- चित्रदुर्ग- बीजापुर - शोलापुर- अहमदनगर- नासिक- धुले- सूरत- बड़ौदा- अहमदाबाद- राजकोट ।

(ख) चेन्नै से जैसलमेर वाया कांचीपुरम- वेल्लोर- चित्तूर- होसकोट- बंगलौर- चित्रदुर्ग- बीजापुर - शोलापुर- अहमदनगर- नासिक- धुले- सूरत- बड़ौदा- अहमदाबाद- गांधीनगर- उदयपुर- सिरोही- पाली- होधपुर ।

(ग) होसकोट से अंतीयूर वाया मालूर- होसूर- कृष्णागिरि- कवेटीपत्तिनम- धर्मपुरी- थोपुर- ओमालूर- सलेम- नमक्कल- करूर- डिंडीगुल- ओटांचन्तरम- पलानी- उडुमालपेट ।

(घ) तूतीकोरिन से अंतीयूर वाया पुदूकोट्टई- तिरुनेलवेली- सत्तुर- विरुद्धनगर- मदुरै- डिंडीगुल- ओटांचन्तरम- पलानी- उडुमालपेट ।

(ङ) होसकोट से संकनेरी वाया मालूर- होसूर- कृष्णागिरि- कवेटीपत्तिनम- धर्मपुरी- थोपुर- ओमालूर- सलेम- नमक्कल- करूर- डिंडीगुल- मदुरै- विरुद्धनगर- सत्तुर- तिरुनेलवेली ।

(च) होसकोट से कोंगलनगरम वाया मालूर- होसूर- कृष्णागिरि- कवेटीपत्तिनम- धर्मपुरी- थोपुर- ओमालूर- सलेम- नमक्कल- करूर- डिंडीगुल- ओटांचन्तरम- पलानी- उडुमालपेट- अंतीयूर ।

6. उपर्युक्त छूट इन शर्तों के अध्यधीन है:-

(i) इन संयोजनों का कभी-कभार प्रचालन किया जाएगा ।

(ii) लो.नि.वि./स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सड़कों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा और वाहन को प्रत्येक बार सड़कों पर लाते समय इन प्राधिकारियों से अनुमति ली जाएगी । सुरक्षा की दृष्टि से संयोजन का प्रत्येक प्रचालन राज्य/ संघ शासित प्रदेश / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उस पर कडी निगरानी रखी जाएगी ।

(iii) वाहन पर खतरे संबंधी सभी झंडियां और बत्तियां लगी होनी चाहिए, बेहतर होगा कि लदे हुए वाहन के आगे तथा पीछे एक-एक वाहन स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ वाहन गुजर रहा है ।

(iv) सड़क की चौड़ाई में संयोजन को जोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(v) संयोजन के आवागमन कार्यक्रम की सूचना कम-से-कम 10 दिन पूर्व संबंधित कार्यपालक इंजीनियरों को दी जानी चाहिए और उनकी स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए ।

(vi) किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश के लोक निर्माण विभाग/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा यदि ऐसा निर्देश दिया जाए तो लदे हुए वाहन को उस राज्य / संघ शासित

प्रदेश में सड़कों पर बने पुलों से गुजरने की अनुमति नहीं होगी और ऐसे मामलों में आवेदकों को नदियों / नालों को पार करने के लिए स्वयं व्यवस्था करनी होगी ।

(vii) बड़े आकार के कार्गो को ध्यान मे रखते हुए उन्हें किसी मार्ग विशेष पर चलने से पहले प्रत्येक बार संबंधित राज्य या संघ शासित प्रदेश के प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त करनी होगी । ऐसे प्रत्येक आवागमन के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय का निर्धारण किया जाना चाहिए ।

(viii) वे राज्य / संघ शासित प्रदेश / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित गति सीमा का पालन करेंगे ।

(ix) उक्त वाहन, यातायात के सामान्य आवागमन मे कोई बाधा पहुंचाए बगैर चलाया जाना चाहिए ।

(x) सड़क पर चलने के लिए संयोजन की अधिकतम गति 10 कि.मी./घंटा से अधिक नहीं होगी ।

(xi) संयोजन की संपूर्ण चौड़ाई में अगले एवं पिछले हिस्से पर पीले एवं काले रंग से जेबरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने के लिए विधिवत लिखा होना चाहिए/ पार्किंग के लिए आगे और पीछे समुचित रुप से लाल बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएंगी जिससे वाहन की सही-सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सके । सके अतिरिक्त, माल का बाहरी भाग पूरी तरह से एक लाल परावर्तक/परावर्ती टेप से ढका होना चाहिए ताकि रात्रि के समय बाहरी भाग निर्विघ्न रूप से दिखाई दे ।

(xii) मै0 नमक्कल ट्रांसपोर्ट कैरियर्स (प्रा.) लि0, चेन्नै, सड़कों अथवा सड़क ढांचों / अन्य सड़क प्रयोक्ताओं / व्यक्तियों को ऐसे संयोजन के प्रचालन के कारण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हुई किसी क्षति के लिए राज्य/ संघ शासित प्रदेश सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा ।

(xiii) मै0 नमक्कल ट्रांसपोर्ट कैरियर्स (प्रा.) लि0, चेन्नै, ऐसे प्रतिबंधों का पालन करेंगे जो इस संबंध मे राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेश /भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(xiv) मै0 नमक्कल ट्रांसपोर्ट कैरियर्स (प्रा.) लि0, चेन्नै, ऐसे वाहन के प्रत्येक बार आवागमन के संबंध में राज्य सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी को अग्रिम सूचना देगा ।

(xv) पंजीकरण प्रमाण पत्र में एक विशेष प्रविष्टि की जाए कि संयोजन मालिक के लिए यह आवश्यक होगा कि वह प्रत्येक प्रचालन के लिए संबंधित प्राधिकारी अर्थात राज्य सरकार/ संघ शासित प्रदेश सरकार / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करे ।

(xvi) 6.8 मीटर प्रलम्ब की अनुमति तभी दी जाएगी जब संयोजन विंड ब्लेड अथवा टावर का परिवहन कर रहा हो ।

7. केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 47 के तहत निर्धारित शर्तें पूरी करने पर ही पंजीकरण प्रमाण पत्र में परिवर्तन किए जाएंगे ।

[फा. सं. आरटी-11042/1/2004-एमवीएल]
आलोक रावत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
(Department of Road Transport and Highways)
NOTIFICATION
New Delhi, the 21st April, 2005

S.O. 570(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and Section 110(3)(a) of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval for requisite modifications and necessary changes in the Registration Certificate in the following trailers registered in Haryana as combinations, with maximum safe laden weight and dimensions as mentioned in the Schedule appended hereto:

SCHEDULE

1. Type of Trailers : Prime Mover - Trailer Combination

2. Owned by Chennai : M/s Namakkal Transport Carriers (P) Ltd.,,

3. No. of Combinations : Eight

4. Description of Combinations

Registration No.	Unladen Weight	Length
HR38M-3310	16000 Kg.	37.239 Mtrs.
HR 38 M-9610	16000 Kg.	37.239 Mtrs.
HR 38 L- 7110	16000 Kg.	37.239 Mtrs.
HR 63 - 7310	16000 Kg.	37.239 Mtrs.
HR 38 L-4010	16000 Kg.	37.239 Mtrs.
HR 38 M -1510	16000 Kg.	37.239 Mtrs.
HR 63 - 7210	14000 Kg.	27.181 Mtrs.
HR 63 - 7510	14000 Kg.	27.181 Mtrs.

5. However, there will be no change in the Chassis No. of axles and tyre sizes in all the eight combinations. The GVW 44000 Kg. width 2.70 Mtrs. and overhang (rear) 6.8 Mtrs (in laden condition) would be allowed in all the above vehicles. The combination will ply on the following routes :-

(a) Chennai to Sikarpur via Kanchipuram-Vellore-Chitoor-Hoskote-Bangalore-Chitradurga-Bejapur-Sholapur-Ahmednagar-Nasik-Dhule-Surat-Baroda-Ahamdabad-Rajkot.

(b) Chennai to Jaisalmer via Kanchipuram-Vellore-Chittor-Hoskote-Bangalore-Chitradurga-Bejapur-Sholapur-Ahmednagar-Nasik-Dhule-Surat-Baroda-Ahmedabad-Gandinagar-Udaipur-Sirohi-Pali-Hodhpur.

(c) Hosakote to Anthiyur via Malur-Hosur-Krishnagiri-Kavetipattinam-Dharmapuri-Thoppur-Omalur-Salem-Namakkal-Karur-Dindigul-Ottanchatram-Palani-Udumalpet

(d) Tuticorin to Anthiyar via Pudukottai-Thirunelveli-Sattur-Virudhunagar-Madurai-Dindigul-Ottanchatram-Palani-Udumalpet.

(e) Hosakote to Sankaneri via Malur-Hosur-Krishnagiri-Kavetipattinam-Dharamapuri-Thoppur-Omalur-Salem-Namakkal-Karur-Dindigul-Madurai-Virudhunagar-Sattur-Thirunelveli.

(f) Hosakote to Kongalnagarm via Malur-Hosur-Krishnagiri-Kavetipattinam-Dharmapuri-Thoppur-Omalur-Salem-Namakkal-Karur-Dindigul-Ottanchatram-Palani-Udumalpet-Anthiyur.

6. The above relaxation is subject to the conditions that ;-

(i) The operations of the combinations shall be done only sparingly.

(ii) Load restrictions on various roads stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India will be observed and permission of such authorities will be obtained every time the vehicles are put on the roads. Each of the such movement will be approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory /National Highway Authority of India from safety point of view.

(iii) The vehicle should display all danger flags and lights, preferably the vehicle should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.

(iv) Coupling of the trailers along side by side the width of the road shall not be permitted.

(v) The programmed of the movement of the combinations should be intimated at least ten days in advance to the Executive Engineers concerned and their clearance obtained.

(vi) If so directed by the Public Works Department of a State/ Union Territory /National Highway Authority of India, the loaded vehicles will not be allowed to pass over the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make their own arrangements to cross the rivers/ nallas.

(vii) They would need to obtain permission each and every time before moving on a particular route from concerned state or Union Territory authorities/National Highway Authority of India enroot, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.

(viii) They would adhere to the speed limits prescribed by the authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India.

(ix) The said vehicles should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.

(x) The maximum speed of the combination for movement on the road shall not exceed 10 kms/hour.

(xi) The combination shall be painted for the entire width by yellow and black zebra strips on the front and rear sides duly marked for night time driving/ parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the vehicles clearly. In addition the entire overhang shall be covered with a red reflector/ reflective tape to facilitate clear vision of overhang at night time.

(xii) M/s Namakkal Transport Carriers (P) Ltd., Chennai, would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory /National Highway Authority of India or any other affected person where any damage is caused to the roads or road structures/other road users/person directly or indirectly due to the movement of combination.

(xiii) M/s Namakkal Transport Carriers (P) Ltd., Chennai, will observe such restrictions as the State/ Union Territory Government/National Highway Authority of India may by order specify in this behalf.

(xiv) M/s Namakkal Transport Carriers (P) Ltd., Chennai, will give an advance intimation to such authority or officer specified in this behalf by the State Government/National Highway Authority of India regarding each movement of such vehicles.

(xv) A specific entry in Registration Certificate is to be made that the combination owner in case of each and every movement will be required to take the permission of concerned Authority i.e. State Govt./Union Territory Govt./National Highway Authority of India.

(xvi) The overhang of 6.8 mtr is to be allowed only while the combination is transporting the wind blade or tower.

7. The changes in the Registration Certificate shall be made only subject to fulfillment of conditions laid down under Rule 47 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989.

[F. No. RT-11042/1/2004-MVL]
ALOK RAWAT, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.